



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112020-223295
CG-DL-E-25112020-223295

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3702]
No. 3702]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2020/अग्रहायण 3, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2020/AGRAHAYANA 3, 1942

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2020

का.आ. 4205(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4(3)(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री रवि कपूर, आईएएस (एएम:1986), सचिव, वस्त्र मंत्रालय को अध्यक्ष, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलोर का अतिरिक्त प्रभार सौंपती है, जोकि अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 31.12.2020 तक (उनकी सरकारी सेवा से अधिवार्षिता की तारीख), या इस पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए होगा। उनकी नियुक्ति केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों और केंद्रीय रेशम बोर्ड की नियमावली के अधीन होगी।

[फा.सं.25012/14/2020-रेशम]

संजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 2020

S.O. 4205(E).—In exercise of powers conferred under Section 4(3) (a) of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby entrusts additional charge of Chairman, Central Silk Board, Bangalore to Shri. Ravi Capoor, IAS (AM: 1986), Secretary, Ministry of Textiles for a period from the date of his assumption of additional charge of the post and up to 31.12.2020 (i.e. date of his superannuation from Government service), or till the regular appointment to the post, or until further orders, whichever is the earliest. His appointment shall be subject to the provisions of the Central Silk Board Act and Central Silk Board Rules.

[F. No. 25012/14/2020-Silk]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.